

प्रसूति-लाभ अधिनियम, १९६१ एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम का सार

अधिनियम का विस्तार एवं प्रवर्तन

यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा।

यह अधिनियम, सरकार के अधीन स्थापनों समेत सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में जो फैक्टरी, खान या बागान हैं तथा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में जहाँ अश्वारोहण कला प्रदर्शन (Equestrian) नटीय कलाबाजी (Aerobic) या अन्य प्रदर्शनों के लिए लोगों को नियोजित किया जाता हो एवं प्रत्येक दुकान व प्रतिष्ठान में, जिसमें 10 या अधिक लोगों को, नियोजित किया गया हो अथवा पिछले 12 महीनों के किसी भी दिन पर नियोजित किया गया था, पर लागू होगा।

परिभाषाएँ

'समुचित सरकार' (Appropriate Government) से अभिप्राय है केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार।

'शिशु' (Child) में नवजात मृत शिशु भी सम्मिलित है।

'प्रजनन या प्रसव' (Delivery) से अभिप्राय शिशु का जन्म है।

'निरीक्षक' (Inspector) से धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है।

'मातृत्व लाभ' (Maternity Benefit) से अभिप्राय धारा 5(1) में निर्दिष्ट संदाय या भुगतान से है।

'गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति' (Medical Termination of Pregnancy) से अभिप्राय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिगनेन्सी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञेय (Permissible) गर्भ समाप्ति से है।

'गर्भपात' से अभिप्राय गर्भस्थ भ्रूण (Uterus) के निष्क्रमण से है, जो गर्भधारण के 26 वें सप्ताह के मध्य या पूर्व होता है लेकिन इसमें वह गर्भपात सम्मिलित नहीं होता, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

'विहित' (Prescribed) से मतलब होता है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के द्वारा निर्धारित।

'महिला' से अभिप्राय है प्रत्यक्षतः या दूसरी एजेन्सी द्वारा प्रतिष्ठानों में मजदूरी पर नियोजित महिला से है।

कुछ अवधि के दौरान स्त्रियों, के नियोजन अथवा द्वारा कार्य पर निषेध

१. कोई भी नियोजक किसी स्त्री को उसके गर्भपात / प्रसव के दिन से तुरन्त छः सप्ताह के दौरान जानबूझकर नियोजित नहीं करेगा तथा कोई भी स्त्री उक्त अवधि के दौरान किसी संस्थापन में कार्य नहीं करेगी।

२. किसी भी गर्भवती स्त्री से, इस संबंध में उसके द्वारा की गई प्रार्थना पर भी, उसके नियोजक द्वारा, उसकी प्रसव की अपेक्षित तिथि से छः सप्ताह पूर्व की अवधि से एक माह पूर्व की अवधि तथा छः सप्ताह की इस अवधि के दौरान किसी भी अवधि के लिए, जिसके लिए वह अनुपस्थिति का अवकाश ग्रहण नहीं करती है, के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा, जो कठिन प्रकृति का हो या उसमें देर तक खड़ा रहना पड़े, जिससे उसके गर्भ या गर्भस्थ भ्रूण के विकास में किसी प्रकार का विघ्न पड़ता हो या गर्भपात होने की संभावना हो या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना हो।

प्रसूति-लाभों के भुगतान का अधिकार

३. (1) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक स्त्री जिसने उस नियोजक के किसी संस्थापन में काम किया हो, जिससे वह, उन दिनों सहित, जिनके दौरान वह शिशु जन्म के कारण कार्य पर नहीं रही, कम से कम अस्सी दिनों की अवधि के लिए प्रसूति लाभ का दावा करती है, औसत दैनिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत संशोधित या तब मजदूरी की न्यूनतम दर से या दस रुपये प्रतिदिन, जो भी अधिक हो को दर से, प्रसव के दिन से तुरन्त पूर्व जो छः सप्ताह से अधिक न हो, को उसकी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए तथा उस दिन से तुरन्त आने की शेष अवधि के लिए हकदार होगी तथा नियोजक देनदार होगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त अस्सी दिनों की अर्हक अवधि किसी ऐसी स्त्री पर लागू नहीं होगी जो असम राज्य में आप्रवासी हो गई हो तथा आप्रवास के समय गर्भवती थी।

पुनः बशर्ते कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु उस अवधि के दौरान हो जाती है, जिसके लिए उसे प्रसूति लाभ देना है, जो लाभ केवल उसकी मृत्यु की तिथि सहित एवं तब तक के दिनों के लिए ही देय होगा। तथापि जहाँ स्त्री को शिशु को जन्म देने के पश्चात् प्रसव के दौरान अथवा बाकी प्रसूति लाभ की अवधि के दौरान शिशु को अपने पीछे छोड़ते हुए मृत्यु हो जाती है, नियोजक, उस स्त्री के प्रसूति के दिन से प्रसूति-लाभ की संपूर्ण अवधि के लिए प्रसूति-लाभ के भुगतान हेतु देनदार होगा, परन्तु यदि शिशु की भी उक्त अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है, तब शिशु की मृत्यु के दिन सहित और उन दिनों तक के लिए देनदार होगा।

(2) किसी स्त्री की अपेक्षित प्रसव की तिथि से पूर्व अवधि के लिए प्रसूति-लाभ की राशि नियोजक द्वारा उस स्त्री को निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति करने पर कि वह गर्भवती है तथा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति की तिथि से छः सप्ताह के भीतर शिशु को जन्म देना अपेक्षित है, अग्रिम भुगतान किया जाएगा तथा बाद की अवधि के लिए, उस राशि का स्त्री द्वारा प्रमाण-पत्र की प्रस्तुति पर कि उसने शिशु को जन्म दिया है अथवा उस समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए जन्म रजिस्टर से मिली प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति करने पर नियोजक द्वारा उस स्त्री को नड्तालीस घंटों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा।

प्रसूति लाभ तथा उसके भुगतान हेतु दावे का नोटिस

(1) किसी संस्थान में नियुक्त और इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रसूति-लाभ की हकदार स्त्री अपने नियोजक को लिखित में यह बताते हुए नोटिस देगी कि उसका प्रसूति-लाभ और अन्य कोई राशि जिसकी वह इस अधिनियम के अन्तर्गत हकदार है उसे अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने नोटिस में नामित किया हो, को भुगतान किया जाए तथा कि वह जिस अवधि के दौरान प्रसूति-लाभ प्राप्त करती है, उस अवधि के दौरान किसी संस्थापन में कार्य नहीं करेगी।

(2) गर्भवती स्त्री के मामले में ऐसे नोटिस में कार्य से अनुपस्थित तिथि का उल्लेख होगा, जो उसकी अपेक्षित प्रसूति की तिथि से छः सप्ताह पूर्व की तिथि न हो।

(3) जिस स्त्री ने जब वह गर्भवती थी, नोटिस नहीं दिया, तो वह उस नोटिस को अपनी प्रसूति के पश्चात् जैसे ही संभव हो, प्रस्तुत करेगी।

(4) नोटिस की प्राप्ति पर, नियोजक ऐसी स्त्री को उसकी प्रसूति की तिथि के पश्चात् प्रसूति-लाभ की शेष अवधि की समाप्ति तक संस्थापन से उसको अनुपस्थित रहने की अनुमति देगा।

प्रसूति बोनस का भुगतान तथा गर्भपात, नसबंदी एवम् सम्बंधित बीमारी के लिए अवकाश

(1) इस अधिनियम के अधीन प्रसूति-लाभ की प्रत्येक हकदार स्त्री अपने नियोजक से दो सौ पचास रुपये का चिकित्सा बोनस पाने की हकदार होगी, यदि नियोजक द्वारा प्रसव पूर्व प्रसूति और प्रसव बाद की देख-रेख के लिए कोई निःशुल्क प्रावधान न किया गया हो। चिकित्सा बोनस को प्रसूति-लाभ की द्वितीय किश्त के साथ दिया जाएगा।

(2) गर्भपात की दशा में, कोई स्त्री, निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, गर्भपात के दिन से तुरन्त छः सप्ताह के लिए प्रसूति-लाभ की दर से वेतन सहित छुट्टी की हकदार होगी। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र पेश करने के 48 घंटों के अन्दर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

(3) गर्भपात के मामले में कोई स्त्री निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण की प्रस्तुति पर अपनी गर्भपात के दिन से तुरन्त छः सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूतिलाभ की दर से वेतन सहित छुट्टी की हकदार होगी। निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुति के 48 घंटों के अंदर मजदूरी का भुगतान करना होगा।

(4) गर्भावस्था 'प्रसूति' समय से पूर्व शिशु के जन्म या गर्भपात/चिकित्सीय गर्भपात या नसबंदी से उत्पन्न किसी बीमारी से पीड़ित स्त्री, निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, उसको स्वीकृत अनुपस्थिति अवधि के अतिरिक्त प्रसूति या गर्भपात/चिकित्सीय गर्भपात या नसबंदी जैसा भी मामला हो, के लिए प्रसूति-लाभ की दर से मजदूरी सहित अधिकतम एक मास की अवधि के लिए छुट्टी की हकदार होगी। अवकाश अवधि के लिए मजदूरी का भुगतान उस अवधि की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर करना होगा।

शिशु पोषण/दुग्धपान विराम (Nursing Breaks)

6. प्रत्येक प्रसूता स्त्री को, जो प्रसव के पश्चात् काम पर वापिस आती है, उसे आराम के लिए स्वीकृत विराम के अतिरिक्त, अपने काम की दैनिकचर्या के दौरान शिशु पोषण/दुग्धपान के लिए 15 मिनट के दो विराम तब तक मिलेंगे जब तक शिशु पन्द्रह मास का नहीं हो जाता है। किसी स्त्री द्वारा कार्य के समय पर कार्य स्थल से शिशु देखभाल केन्द्र या स्थल जहाँ शिशुओं को छोड़ा गया है तक आने-जाने के लिए तय की गई दूरी के अनुसार पर्याप्त अतिरिक्त समय की अनुमति भी होगी, बशर्ते कि यह अतिरिक्त समय 5 मिनट से कम व 15 मिनट की अवधि से अधिक न हो।

गर्भावस्था के दौरान निलम्बित/निष्कासित करना

(Dismissal during absence of pregnancy)

7. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब कोई स्त्री काम पर से अनुपस्थित रहती है, तो उसके नियोजक के लिए यह विधि विरुद्ध होगा कि वह ऐसी अनुपस्थिति के दौरान उसे भारमुक्त या पदच्युत करे या भारमुक्त या पदच्युत का नोटिस ऐसे दिन दे कि ऐसी अनुपस्थिति के दौरान नोटिस समाप्त होगा या उसकी सेवा शर्तों में अहितकर फेरफार करे।

(2) अपनी गर्भावस्था के दौरान किसी स्त्री को किसी समय पदमुक्त अथवा पदच्युत किए जाने से उसके प्रसूति-लाभ अथवा चिकित्सा बोनस से वंचित करना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यदि स्त्री की ऐसी परमुक्ति या पदच्युति न होती तो प्रसूति लाभ अथवा चिकित्सा बोनस की वह हकदार होती।

बशर्ते कि जहाँ भारमुक्त निम्न कारणों में से एक या अधिक के लिए हो, नियोजक लिखित आदेश में स्त्री से उसकी प्रसूति-लाभ या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित करने के लिए संज्ञान करेगा:-

(1) जानबूझकर नियोजक के माल या संपत्ति को नुकसान पहुँचाना;

(2) कार्य-स्थल पर किसी वरिष्ठ या सह कर्मचारी से दुर्व्यवहार;

(3) नैतिक भ्रष्टता सल्लिप्त दण्डनीय अपराध के परिणामस्वरूप न्यायालय में दोष सिद्ध;

(4) नियोजक के व्यापार या संपत्ति के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी करना तथा;

(5) किसी विषय पर सुरक्षा उपायों या नियमों की जानबूझकर अनदेखी अथवा सुरक्षा उपकरणों व अग्निशमन उपकरणों के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ करना।

(2ख) कोई भी स्त्री, जो प्रसूति-लाभ या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित रहती है, उसको ऐसे वंचित करने की संसूचित किए गए आदेश की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी को अपील कर सकती है तथा ऐसी अपील पर उसका निर्णय अंतिम होगा कि क्या स्त्री को प्रसूति-लाभ या चिकित्सीय बोनस या दोनों से वंचित रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए।

निरीक्षक के अधिकार एवम् कर्तव्य (Powers & Duties of the Inspector)

8. यदि किसी स्त्री को उसके नियोजक द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसको छुट्टी स्वीकृत करने के पश्चात् वह किसी संस्थापन में कार्य करती है तो ऐसी अवधि के वह अपने प्रसूति-लाभों से वंचित हो जाएगी।

9. (1) प्रसूति-लाभ या अन्य किसी राशि का दावा करने वाली कोई स्त्री जिसकी वह अधिनियम के अन्तर्गत हकदार थी तथा कोई व्यक्ति जो उस देय भुगतान का दावा करता है, जिसे अनुचित ढंग से रोका गया था, निर्धारित प्रपत्र में लिखित में निरीक्षक को शिकायत कर सकता है।

(2) निरीक्षक स्वयं के प्रस्ताव पर या निर्धारित प्रपत्र में शिकायत की प्राप्ति पर जांच कर सकता है अथवा जांच करा सकता है तथा यदि वह संतुष्ट होता है कि भुगतान को गलत तरीके से रोका गया है, तो अपने आदेशों के अनुसार भुगतान करने के निर्देश दे सकता है।

(3) निरीक्षक के निर्णय से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, इस निर्णय को किसी व्यक्ति को संसूचित करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर, सक्षम प्राधिकारी या मुख्य निरीक्षक श्रमिक को अपील कर सकता है।

(4) सक्षम प्राधिकारी का निर्णय जहाँ उसको अपील दायर की गई है अथवा अपील दायर नहीं की गई है, निरीक्षक का निर्णय अंतिम होगा।

10. (क) नियोजक, उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक स्त्री को उसकी प्रार्थना पर सभी निर्धारित प्रपत्रों की प्रतियाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में नोटिस, अपील या शिकायत प्रस्तुत करने में असफल होने पर भी अधिनियम के अन्तर्गत प्रसूति-लाभ या अन्य किसी वकाया राशि को प्राप्त करने की हकदार स्त्री का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। जहाँ नोटिस, अपील या शिकायत निर्धारित प्रपत्र से अलग या अन्य किसी प्रपत्र में प्राप्त किया गया है, सम्बद्ध प्राधिकारी ऐसी नोटिस, अपील या शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर स्त्री से नोटिस, अपील या शिकायत जैसा भी मामला हो, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

महिला कर्मचारी मस्टर रोल (Maintainance of Register)

11. (क)(1) प्रत्येक संस्थापन का नियोजक, जहाँ स्त्रियाँ नियुक्त हैं। निर्धारित प्रपत्र में एक मस्टर रोल तैयार करेगा और उसका रख-रखाव करेगा तथा संस्थापन में कार्यरत सभी स्त्रियों के विवरणों की उसमें प्रविष्टि करेगा।

(2) मस्टर रोल में सभी प्रविष्टियाँ स्याही में की जाएंगी तथा अद्यतन रख-रखाव किया जाएगा एवं कार्य समय के दौरान निरीक्षक द्वारा जांच के लिए यह सदैव उपलब्ध रहेगा।

(ख) संस्थापन का नियोजक प्रत्येक वर्ष की 21 जनवरी तक या इससे पूर्व पिछले वर्ष के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लिखित विवरणों की सूचना देते हुए निर्धारित प्रपत्र में एक रिटर्न सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

JAIN BOOK DEPOT

C-4, Opp. PVR Plaza, Connaught Place, New Delhi - 110 001
Phone : 2341610/102/03 Email : sales@jainbookdepot.com

[प्रसूति लाभ अधिनियम, १९६१ की धारा १९ के अंतर्गत प्रदर्शित सार, केवल जानक]